(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री शिवकान्त पुत्र कैलाश बंका

किस्म मुकदमा FSSAI नं. 52 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहक्काम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2022	यह प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21.12.2022 को पेश हो।	
21.12.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अनावेदकगण अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27.12.2022 को पेश हो।	
27.12.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि नया बस स्टैण्ड, मलसीसर झुन्झुनू में मै0 तरूण कुमार डूंगरमल बंका के नाम से फर्म है जहां वह किराणा सामान का बेचान करता है। उसकी फर्म से खाद्य पदार्थ चाय (विष्णु) का सैम्पल लिया गया था। वह चाय उसने पैक्ड मै0 राकेश ट्रेडिंग कम्पनी, मण्डेलिया स्कूल के पास, पिलानी से जरिये पक्के बिल खरीदी थी तथा पैक्ड ही बेचान करता हूं। अतः मेरे विरूद्ध प्रकरण को ड्रॉप करते हुए मुझे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि उसकी मै0 राकेश ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से मण्डेलिया स्कूल के पास पिलानी में फर्म है। जहां से वह चाय का व्यापार करता है। उसकी चाय [illegible] है। जो कि रैपर छपाई में कमी के कारण हुई है। चाय में अन्य किसी प्रकार की मिलावट नही पाई गई है। छपाई की कमी में सुधार कर लिया गया है। अतः मेरे विरूद्ध प्रकरण को ड्रॉप करते हुए मुझे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक [illegible] जयपुर से प्राप्त जांच [illegible] एल.एस./2521/एक्ट/2022/2556 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (विष्णु) मिसब्राडेन्ड (Misbranded) पाई गयी है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 श्री शिवकान्त पुत्र श्री कैलाश बंका, मै0 तरूण कुमार डूंगरमल बंका, नया बस स्टैण्ड, मलसीसर ने चाय	Despatch शिवकांत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:31:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनावेदक संख्या 2 श्री दीपक गुप्ता पुत्र श्री सुनिल कुमार गुप्ता मै0 राकेश ट्रेडिंग कम्पनी, मण्डेलिया स्कूल पिलानी से पैक्ड जरिये पक्के बिल से खरीदी थी, तथा बिल प्रस्तुत किया है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जा सकता है। अनावेदक संख्या 2 स्वयं अपनी फर्म में चाय (विष्णु) पैक कर बेचान करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ चाय (विष्णु) के मिसब्राडेन्ड (Misbranded) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 2 श्री दीपक गुप्ता पुत्र श्री सुनिल कुमार गुप्ता, मै0 राकेश ट्रेडिंग कम्पनी, मण्डेलिया स्कूल के पास, पिलानी झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 1,000/- एक हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:31:02 IST
Reason: SelfAttested